न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–59 / 2019

उनवान –सरकार बनाम भागचन्द जैन पुत्र श्री बाबूलाल (बजाज फूड प्रोडक्ट मंनिया)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –14.12.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री आसिमदीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री भागचन्द जैन पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी मांगरोल रोड मंनिया जिला धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 बजाज फूड प्रोडक्ट मंनिया) के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2018 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स बजाज फूड प्रोडक्ट मंनिया का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में लगभग 20 किलो ग्राम स्पेशल मिक्स केक गोपीगोपाल ब्राण्ड जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इसमें मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर उक्त मिक्स केक में से एक किलो ग्राम मिक्स केक वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त एक किलो ग्राम मिक्स केक नमूना डी–1553 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 01.11.2018 के अनुसार उक्त मिक्स केक गोपीगोपाल ब्राण्ड सबस्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड मिक्स केक का विक्रय करके खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड एवं मिसब्राण्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री भागचन्द जैन पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी मांगरोल रोड मंनिया जिला धौलपुर (विकेता एवं मालिक मै0 बजाज फूड प्रोडक्ट मंनिया) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत 30,000/–रुपये (तीस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)